

फर्द अहकाम
(नियम 26)



अज अदातत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

संदीप सिंह बनाम दर्शन सिंह वगैरा

किस्म मुकदमा:- वाद पत्र 88 RTA

नम्बर 333/2023

उपस्थित अधिवक्ता :- श्री औमप्रकाश शर्मा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इमिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामील में जारी हुए
17.07.2023	अधिवक्ता वादी की ओर से वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 88 RTA पेश किया। सिगेदार से रिपोर्ट हो चुकी है। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन करवाई जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 11.08.2023 को पेश हो।	
11.08.23	<p>वादी संदीप सिंह/दर्शन सिंह और प्रतिवादी सं 1 - दर्शन सिंह/कस्तूर सिंह जटसिव व प्रतिवादी सं 2 - सर्वजीत कौर पुत्री दर्शन सिंह टाडर आण और रजिनामा पेश किया (Annex-1)</p> <p>मेरे द्वारा रजिनामा और वाद के facts पर जाँच किया गया, विवादित जमीन - प. एल्का इंड्रिया के प्लॉट 8 P.T.P के खता सं 65/57 में 2.561 ई. प्रतिवादी सं 1 के नाम दर्ज है। वादी ने इस जमीन में अपना एक claim किया है। रजिनामा के जरिए प्रतिवादी सं 1 ने इस claim की स्वीकार किया है तथा प्रतिवादी सं 2 ने अपना हिस्सा अपने पास, प्रतिवादी सं 1 के पक्ष में लिया दिया है।</p> <p>मेरे द्वारा रजिनामा पर जाँच किया गया, रजिनामा स्वीकार किया गया विधिसम्मत है क्योंकि जारी</p>	<p>Sanjeev Kumar All I.B. no Sandeep Singh Sandeep Singh</p>

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख

इहकाम जो इस की तामील में जारी

मु.न. 333/2023 S.88 RTI

दि.न. 259/19.10.2000 से यह जादिर है कि
 विवादित जमीन प्रतिवादी सं 1 की पत्नी
 संपत्ति है. इसलिए उसके वारिसान-वादी
 तथा प्रतिवादी सं 2 का इस जमीन में
 जन्म से एक निहित है.

इसलिए राजीनामा स्वीकार करते
 हुए, धारा 88 R.T.I. Act के तहत वादी
 की चक्का 8 P.T.P के खाला सं 65/57
 में 0.886 है. मूलि का स्वादेवार धारित
 किया जाता है. तहसीलदार संगरिया आदेश
 मुताबिक अमल प्रामद करे. राजीनामा (Anna)
 इस करणों का अमिळन फिरसा रहेगा.


